**Consolidation of land holdings in villages of U.P.**

@3280. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether consolidation of land holding in villages, tehsils and Sardhana in U.P. has been completed;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether consolidation of land holdings in village Bamnoli of District Meerut has not been completed, if so, the reasons for the delay; and

(d) by when it is likely to be com pleted?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) to (d) The information is being collected from the State Government of U.P. and will be placed on the Table of the House.

**बंजर भूमि के विकास कार्यों में लगे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता**

3281. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या प्रधान मंत्री 5 अगस्त 1993 को राज्य सभा में दिए गए अतारांकित प्रश्न 1507 के उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निरन्तर बढ़ रही बंजर भूमि के विकास के लिये केन्द्र और राज्य स्तर पर क्या-क्या योजनाएं लागू की जा रही हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र और राज्यों द्वारा इस पर अलग-अलग कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) इन योजनाओं के नाम क्या हैं और बंजर भूमि के विकास के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध किया गया; और

(ग) बंजर भूमि के विकास कार्य में लगे स्वैच्छिक संगठनों को दी जाने वाली सहायता के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं और सहायता का ब्यौरा क्या है ?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय (परती भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह)** : (क) बंजर भूमि पर वनरोपण 20-सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 16 के तहत विभिन्न केन्द्र तथा राज्य योजना स्कीमों जिनमें सामाजिक वानिकी, मृदा सर्वेक्षण, समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना स्कीम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम, सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, नदी घाटी परियोजना स्कीम, पहाड़ भूमि सुधार स्कीम भी सम्मिलित है, के जरिए किया जाता है । 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र तथा राज्य स्कीमों के तहत पिछले तीन वर्षों में वनरोपण/वृक्षारोपण हेतु खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

| वर्ष | करोड़ रुपये में |
|---|---|
| 1990–91 . . . | 627.78 |
| 1991–92 . . . | 665.30 |
| 1992–93 . . . | 704.05 |

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ग) विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को बंजर भूमि के विकास हेतु शत प्रतिशत अनुदान सहायता देने की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत सहायता दी जा रही है । इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों, सहकारी समितियों, महिला मंडलों, युवा मंडलों और अन्य संगठनों को वनरोपण तथा बंजर भूमि के विकास से सम्बन्धित कार्यों को करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध की जाती है । इस कार्य में बीजांकुर उगाने, पौध-रोपन, प्रशिक्षण और विस्तार कार्य, मृदा एवं नमी संरक्षण कार्य और कोशकीट पालन सहित घास एवं चारा विकास आदि सहित छोटे कार्यक्रमों के वास्तविक कार्यान्वयन को शामिल किया जा सकता है । इस योजना के अंतर्गत परि-योजना के मूल्यांकन के पश्चात् स्वैच्छिक एजेंसियों को सीधे ही निधियां अवमुक्त की जाती है । वर्ष 1992-93 के दौरान स्वैच्छिक संगठनों को 2.50 करोड़ रुपये की सहायता दी गई थी । वर्ष 1993–94 के लिये इस प्रयोजन हेतु 7.5 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है ।

**गुजरात के सूखाग्रस्त गांवों में पेयजल की कमी**

3282. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात के सूखाग्रस्त गांवों में पेयजल की अत्यन्त कमी हो गई है क्योंकि अधिकांश कुएं सूख गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस राज्य के गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार ने प्रत्येक गांव में अतिरिक्त कुओं की खुदाई के लिये राज्य को विशेष निधियों का आवंटन किया है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो गुजरात के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

@Previously Unstarred Question 2259, transferred from 13th August, 1993.

**ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल)** : (क) सूखा से प्रभावित गांवों में पेयजल की अत्यधिक कमी के बारे में गुजरात की राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं चल रहे राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम तथा राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के तहत मिनी मिशन परियोजनाओं और उप-मिशनों के तहत मुहैया कराई जाती हैं ।

(ग) और (घ) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात की राज्य सरकार को 1992-93 में 16.33 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था जिसे 1993-94 में बढ़ाकर 26.56 करोड़ रुपए कर दिया गया है । अब तक 13.28 करोड़ रुपए रिलीज़ जा चुके हैं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

**ग्रामीण सफाई कार्यक्रम के लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव**

3283. **श्री राम नरेश यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण सफाई कार्यक्रम के संबंध में एक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास भेज दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा यह प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास कब से लंबित पड़ा है; और

(ग) इन परियोजनाओं को स्वीकृति में कितना समय लगने की संभावना है ?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल)** : (क) से (ग) जनवरी 1993 में, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने केंद्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत 3287.82 लाख रुपये रिलीज करने तथा वर्ष 1993-94 के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु आवश्यक प्रावधान करने का अनुरोध किया था । चूंकि वर्ष 1992-93 के लिए सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिए सिर्फ 15 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था इसलिए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित धनराशि को रिलीज करना सम्भव नहीं था । राज्य सरकार को उनके 261.09 लाख रुपये के आबंटन के मुकाबले वर्ष 1992-93 हेतु 267.89 लाख रुपये रिलीज किए गए थे । 1993-94 के लिए 391.43 लाख रुपये के आबंटन में से 195.715 लाख रुपये रिलीज किए जा चुके हैं ।

**बंजर भूमि के विकास के लिये ऋण**

3284. **श्री गोपाल सिंह सो० सोलंकी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंजर भूमि के विकास के लिये और निगम क्षेत्र का योगदान बढ़ाने के लिये कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करने के लिये सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या सरकार इस संबंध में सूचना, तकनीकी जानकारी और वित्तीय सहायता आदि उपलब्ध कराने के लिये सिंगल विन्डो सुविधा प्रदान कराने के पक्ष में है;

(ग) क्या सरकार के पास कोई सूचना है कि गुजरात में जिलेवार कितना-कितना भू-क्षेत्र बंजर है और क्या सरकार ने इस बंजर भूमि के सर्वांगीण विकास के लिये कोई कार्य योजना बनाई है,

(घ) सरकार ने गुजरात में बंजर भूमि के विकास के लिये कितनी धनराशि आवंटित की है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय (परती भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह)** : (क) और (ख) बंजर भूमि विकास विभाग इस समय "मार्जिन मनी सहायता" नामक योजना कार्यान्वित कर रहा है ? जिसके तहत राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों/कम्पनियों/अलग-अलग व्यक्तियों को वृक्षारोपण/वनरोपण के लिये केन्द्रीय सहायता उपलब्ध की जाती है । इसके लिये वित्त पोषण के पैटर्न में परियोजना लागत के कम से कम 50 प्रतिशत तक बैंक ऋण का प्रावधान किया गया है और शेष राशि राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड तथा संवर्धक एजेंसी द्वारा बराबर-बराबर मात्रा में उपलब्ध कराई जाएगी किन्तु इस राशि में राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड का हिस्सा कुल परियोजना लागत के 25 प्रतिशत ही सीमित रहेगा । इस सहायता को मार्फत यह योजना बैंक ऋण के लिये राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के सक्षमता मानदंड के दायरे में आ जाती है । निगमित क्षेत्र और वित्तीय संस्थाओं से इस विभाग को प्राप्त सुझावों को देखते हुए योजना में अब संशोधन किया जा रहा है । इस समय चल रही योजना को देखते हुए यह विभाग बंजर भूमि के विकास के लिये कम ब्याज दरों पर ऋण मुहैया कराने की एक अलग योजना पर विचार नहीं कर रहा है । पूरे देश में बंजर भूमि पर वनरोपण/वृक्षारोपण के कार्यों के लिये राष्ट्रीय बैंकों/वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संस्थागत